# दिनांक 24/10/2007 को मेसर्स एरो एनर्जी प्रा. लिमिटेड, तातापानी रमकोला सी.बी.एम. ब्लाक –III जिला–सरगुजा में प्रस्तावित कोल बेड मिथेन की स्थापना के सम्बंध में की गई लोक सुनवाई का विवरण :–

मेसर्स एरो एनर्जी प्रा. लिमिटेड, तातापानी रमकोला सी.बी.एम. ब्लाक–III जिला–सरगुजा में प्रस्तावित कोल बेड मिथेन की स्थापना के सम्बंध में लोक सुनवाई हेतु किये गये आवेदन के परिपेक्ष्य में दिनांक 21/09/2007 को स्थानीय समाचार पत्र नवभारत व दिनांक 22/09/2007 को राष्ट्रीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित की जाकर दिनांक 24/10/2007 को लोक सुनवाई की तिथि निश्चित की गई। उक्त अवधि में परियोजना के सम्बंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 24/10/2007 को मेसर्स एरो एनर्जी प्रा. लिमिटेड हेतु नगर पंचायत कार्यालय, बलरामपुर, जिला–सरगुजा में प्रातः 11:30 बजे अपर कलेक्टर, रामानुजगंज, जिला–सरगुजा की अध्यक्षता में लोक लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। उपस्थित लोगों की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम प्रबंधन की ओर से श्री सुधांशु अधिकारी द्वारा प्रस्तावित उद्योग के सम्बंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। उसके पश्चात् अपर कलेक्टर, रामानुजगंज, जिला–सरगुजा द्वारा जन समुदाय से परियोजना बावत् विचार रखने हेतु कहा गया।

उपस्थित ग्रामवासियों, जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये मुद्दे व उद्योग प्रबंधन द्वारा दिया गया जवाब निम्नानुसार है :–

1. स्थानीय लोगों को मजदूरी या काम मिलेगा ? (श्री दिवाकर मुखर्जी, तातापानी)
   अभी गैस की जांच किया जाना है। इसमें हमें लोगों को यही से काम के लिये लिया जावेगा। जांच के बाद अधिक मात्रा में लोगों को लिया जावेगा।

2. इस परियोजना से प्रदूषण फैलेगा या किसी प्रकार की बिमारी होगी ? (श्री सूर्यनाथ मिंज, ग्राम–जामवंतपुर),
   इससे किसी प्रकार का कृषि में प्रदूषण या बिमारी नहीं होगी।

3. मीथेन गैस के रिसाव से काई कांड तो नहीं होगा। और पानी जो निकलेगा किसानों को फायदा होगा या नहीं ? (श्री चन्द्रिका प्रसाद, दड़िया),
   यह विषैली गैस नहीं है। अतः कोई कांड नहीं होगा। पानी जो निकलेगा पीने के लिए एवं खेती के लिये उपयोग किया जा सकता है।

4. प्लांट लगने के कितने दिन बाद स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा ? (श्री अनिल कुमार गुप्ता, ग्राम–दड़िया),
   स्थानीय लोगों को रोजगार शुरू से कम मात्रा में दिया जायेगा। चाले होने के बाद ज्यादा मात्रा में दिया जायेगा।

5. प्लांट चाले होने से कुंए का जल स्तर कम तो नहीं होगा ? (श्री करमचंद सिंह, ग्राम–सारंगपुर),
   इस परियोजना से कुंए के जल स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. गैस कितने दिन तक प्रभावित करेगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा ? (श्री बिगन प्रसाद, ग्राम–भेलवाडीह),
कम से कम 20 साल तक प्रोजेक्ट चलेगा। इससे कोई नुकसान नहीं होगा।

7. भोपाल गैस कांड जैसा कोई कांड तो नहीं होगा ? (श्री गौर विश्वास, ग्राम–धनगांव),
भोपाल गैस जैसा यह जहरीली गैस नहीं है। अतः कोई कांड होने की संभावना नहीं है।

8. इस गैस का उपयोग कहां होगा स्थानीय लोगों को काई लाभ होगा या नहीं ? (श्री रामनाथ गुप्ता, ग्राम–तातापानी),
जलाने के लिये उपयोग किया जा सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर बिजली पैदा करने का प्लान करेंगे।

9. पर्यावरण क्या चीज है हम लोगों को क्या नुकसान होगा । यहां काम खुले हमकों काई आपत्ति नहीं है। (श्री द्वारिका प्रसाद गुप्ता, ग्राम–नवाडीह, तातापानी),
हवा, पानी का खतरा का कोई काम इधर नहीं होगा।

10. गैस उत्पादन से कृषि में क्या नुकसान फायदा होगा ? (प्रदीप कुमार खेस, ग्राम–सारंगपुर),
गैस उत्पादन से काफी मात्रा में पानी निकलता है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। जो कृषि कार्य में उपयोग किया जा सकता है।

11. जमीन यदि अधिग्रहित की जा रही है ? उसका क्या मुआवजा, नौकरी दिया जायेगा ? (श्री यहूदी प्रसाद गुप्ता, ग्राम–नवाडीह),
जमीन 2–3 महीने के लिये लिया जायेगा। इसके सम्बंध में शासन के दिशा निर्देशानुसार मुआवजा दिया जायेगा।

अपर कलेक्टर, रामानुजगंज, जिला–सरगुजा द्वारा अन्त में लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों को लोक सुनवाई के विवरण की जानकारी दी जाकर कार्यवाही समाप्त घोषित की गई ।

क्षेत्री अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अंबिकापुर

अपर कलेक्टर
रामानुजगंज, जिला–सरगुजा